न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -1828/2026

खिजरसराय थाना काण्ड संख्या–122 / 2024

पीठासीन पदाधिकारी– राजेश सिंह

1.नन्दु यादव, उम्र–40 वर्ष, पिता–स्व0 परमेश्वर यादव
2.कलंदर कुमार, उम्र–49 वर्ष, पिता–नन्दु यादव
3.आशा देवी, उम्र–41 वर्ष, पति–नन्दु यादव,
4.सुमन कुमारी, उम्र–23 वर्ष,
5.पुनम कुमारी, उम्र–26 वर्ष,
6.स्वीटी कुमारी, उम्र–19 वर्ष, सभी पिता–नन्दु यादव
सभी निवासी–रसलपुर, थाना–खिजरसराय, जिला–गया

————अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार ——— ————————————————————————अभियोजन

आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता –श्री अजय कुमार सिन्हा

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री मदन मोहन शर्मा

24.06.2026 आवेदक /अभियुक्तगण की ओर से खिजरसराय थाना काण्ड संख्या–122 / 2024 अन्तर्गत धारा– 147,341,323,504,506,354,379,337 भा0दं0वि0 में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

आदेश

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें झूँठे मामला में फंसाया गया है। इन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसके पूर्व आवेदक की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना या अन्य किसी वरीय न्यायालय में संस्थित नहीं किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। इस झूँठे वाद में हम लोगों को गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग समुचित बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत नहीं दी जाय, क्योंकि इन लोगों ने अजमानतीय अपराध कारित किया है।

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -1828/2026</u>

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पर आरोप है कि दिनांक–06.04.2024 को आवेदक ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर के सूचिका को गाली दिया। नन्दु यादव पर आरोप है कि इन्होंने सूचिका का शीलहरण का प्रयास किया। आशा देवी पर आरोप है कि इन्होंने कान की बाली सूचिका से छीन लिया। कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिनी ओनम कुमारी, साक्षी–विलास यादव, चंदन कुमार, दयालु कुमार ने घटना का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के साथ जख्म प्रतिवेदन संलग्न नहीं है। जहां तक चोरी का प्रश्न है दो परिवारों में मारपीट होती है, किन्तु कान की बाली छीनी नहीं जाती है। यह सिर्फ मामले को गंभीर बनाने के लिये बतायी जाती है। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने में पश्चात इनके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभियुक्तगणद्वारा निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रुपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने आदेश दिया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II,
गया